(2004) 4 SCR 449

अनिल कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

16 सितंबर 2004

[अरिजीत पसायत और सी. के. ठक्कर, जे.जे.]

दंड संहिता, *1860*—धारा *302* और धारा *302* सपठित धारा *34* — हत्या — विचारण न्यायाल्य द्वारा अभियोजन के वृतांत पर अविश्वास करते हुए सभी तीनों अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया —उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया गया और अपीलार्थी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया क्योंकि अन्य दो अभियुक्तगण की मृत्यु हो चुकी थी — अपील करने पर उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई दंड प्रक्रिया संहिता, *1973*– धारा *313*।

आपराधिक विचारण: अभियोजन मामले की विश्वसनीयता– तभी प्रभावित होगी जब चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य को पूर्णतः असंभव बनाता हो।

साक्ष्य अधिनियम, *1872* — अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा की अभियुक्तगण को लगी चोटें उसी घटना में कारित हुई है जिसमें अपराध घटित हुआ है — स्थापित अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेगा।

अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दो अन्य व्यक्तियों के साथ धारा **302** और **302** सपठित धारा **34** के कथित अपराध के लिए विचारण का सामना किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया, राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील के लंबित रहने के दौरान दो अभियुक्तगण की मृत्यु हो गई उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को कथित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया एतद्वारा वर्तमान अपील हुई।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारितः

1. जिस साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्ति का आदेश दिया गया है उसकी समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, साधारणतः दोषमुक्त किए जाने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता क्योंकि दोषमुक्त किए जाने से अभियुक्त के निर्दोष होने की संभावना को बल मिलता है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यदि दो विचार संभव है प्रथम अभियुक्त के दोषी होने का इशारा करता है तथा दूसरा अभियुक्त के निर्दोष होने का तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में हो उसे अपनाया जाना चाहिए दोषमुक्त होने के मामले

में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है की वह यह जानने के उद्देश्य से की अभियुक्तगण में से किसी ने भी वास्तव में कोई अपराध कारित किया है या नहीं न्यायालय साक्ष्य की पुनःसमीक्षा कर सकेगा। **[454-H; 455-A, B, C]**

भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, *(2002) 2* सर्वोच्च *567;* शिवाजी साहबरोआ बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य *AIR (1973) SC 2622;* रमेश बाबूलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य, *(1996) 4* सर्वोच्च *167;* जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य *(2000) 3* सर्वोच्च *320;* राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य, *(2003) 7* सर्वोच्च *152;* पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह *(2003) 5* सर्वोच्च *508;* पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य, *(2003)* सर्वोच्च और सुचंद पाल बनाम फानी पाल और अनय *JT (2003) 9 SC 17,* संदर्भित.

2.1 ऐसा कोई कानून नहीं है जहां हर उस प्रकरण में जिसमे अभियोजन अभियक्तगण में से किसी को भी आई चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है प्रकरण की आगे जांच किए बिना स्वतः खारिज कर दिया जाना चाहिए। जहां अभियुक्तगण को मामूली व सतही चोटें लगी हो वहां पर अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष है इतना संभावित व

सतत है और विश्वसनीय है की वह अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों की व्याख्या करने में हुई चूक के प्रभाव से अधिक है। **[455-F; 457-B]**

मोहर राज और भारत राय बनाम बिहार राज्य [1968] 3 SCR 525; लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य [1976] 4 SCC 394; विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR (1990) SC 1459 और राम लगन सिंह बनाम बिहार राज्य AIR (1972) SC 2593, संदर्भित।

2.2 यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है की अभियोजन को उसी घटना में कारित हुई अभियुक्तगण की चोटों की व्याख्या करना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष निश्चित मामले के साथ आता है की अभियुक्तगण द्वारा अपराध किया गया है और अपने मामले को किसी उचित संदेह से परे साबित करता है अभियोजन पक्ष को यह फिरसे समझना शायद ही आवश्यक होगा की अभियुक्तगन को कैसे और किन परिस्थितियों में चोटें कारित हुई है, यह तब अधिक होता है जब चोटें सामान्य व सतही प्रकृति की हो। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को आई मामूली और सतही चोटें अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाने में उनकी अधिक मदद नहीं करती है। **[457-D, E, F]**

हरे कृष्ण सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य AIR (1988) SC 863 और सुरेंद्र पासवान बनाम झारखंड राज्य (2003) 8 सर्वोच्च 476, संदर्भित।

3. विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अनुमान व कल्पना पर आधारित थे और साक्ष्य के विपरीत थे। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष दिया गया की अपीलार्थी – अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार में कार्य किया, इसके विपरीत अभियोजन की सामग्री से यह साबित होता है की अभियुक्त ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप मृतकों में से एक की मृत्यु कारित हुई। यह मानना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व दिनांकित थी साक्ष्य के त्रुटिपूर्ण पठन पर आधारित थी। अनपढ़ और ग्रामीण महिला के बयानों में मामूली भिन्नता को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जब साक्ष्य घटना के काफी अर्से के बाद दर्ज किया गया है। यह एक तुच्छ कानून है की जब मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस होता है और चिकित्सीय साक्ष्य उसके विपरीत होता है तो वह अप्रासंगिक हो जाता है। केवल तभी विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सकता है जब चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य को पूर्णतः असंभावी बना देता हो। यह ऐसी प्रकृति का मामला नहीं है उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने लायक कोई त्रुटि नही है। **[457-G, H; 458-A, B, C]**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 616 वर्ष 1999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.2.99 से, जो कि अपील क्रमांक 1580 वर्ष 1986 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की और से रविन्द्र श्रीवास्तव, कुणाल वर्मा और मनोज प्रसाद।

प्रत्यार्थी की और से प्रमोद स्वरूप, सुश्री प्रेरणा स्वरूप, प्रवीण स्वरूप, इम्तियाज अहमद, श्रीमती नगमा इम्तियाज और वी. एन. रघुपति।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

अरिजीत पसायत, जे.

अपीलार्थी (इसके पश्चात 'अभियुक्त से संबोधित) को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय के द्वारा पलट दिया गया। तीन व्यक्तियों अक्षय कुमार, अनिल कुमार और शिव कुमार द्वारा कथित अपराध अंतर्गत धारा 302, और 302 सपथित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में भा. द. स.) के तहत दंडनीय अपराध का विचारण किया गया।

जिन अपराधों के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया वे अनिवार्य रूप से इस प्रकार है:

गुलजारी लाल के पुत्र गोवर्धन लाल ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (इसके पश्चात एफ. आई. आर.) दिनांक 27.2.1980 सांय 4.45 पर दर्ज करवाई जिसमे आरोप लगाया की उसी रोज सांय 3 बजे आरोपी अक्षय कुमार, अनिल कुमार और शिव कुमार उनके घर की तरफ आए आरोपी शिव कुमार ट्रैक्टर चला रहा था जबकि अक्षय कुमार और अनिल कुमार

ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बैठे थे और दोनो के हाथों में दोनाली बंदूक थी। वे परिवादी की जमीन में से ट्रैक्टर लेकर जाना चाहते थे जो उसके घर के सामने है परिवादी व उसके भाई की है वहां पर कुछ खाली जमीन है ग्राम प्रधान अक्षय कुमार उक्त भूमि पर रास्ता बनाना चाहता था इस विषय में उसने मुंसिफ न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था वह मुकदमा जीत गया था। अभियुक्तगण इस कारण से रंजिश रखते थे, इस घटना के तीन वर्ष पूर्व आरोपी अनिल कुमार और शिव कुमार परिवादी के भूखंड पर गए व गोली चलाकर हमला करना चाहते थे परिवादी ने इस आशय की थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। दिनांक 27.2.1980 को दोपहर करीब 3 बजे परिवादी के भाई कुंजीलाल और परिवादी का भतीजा कालीचरण (प्रत्येक को मृतक के नाम से संबोधित किया गया है)। अपने घर के पश्चिम में थैलों में आलू भर रहे थे उन्होंने अभियुक्तगन से पूछा की चूंकि परिवादी के घर के सामने कोई रास्ता नहीं है आप ट्रैक्टर कहां ले जा रहे हो उन्होंने कुंजी लाल के घर के सामने ट्रैक्टर रोका, अक्षय कुमार ने उन्हें मारने के लिए उकसाया जिस पर अक्षय कुमार और अनिल कुमार ट्रैक्टर से नीचे उतर गए और गाली गलोच करने लगे आरोपी अनिल कुमार ने बंदूक चलाई और गोली कुंजीलाल को लगी अक्षय कुमार ने गोली चलाई और गोली कालीचरण को लगी और दोनो की मौके पर ही मौत हो गई। अभियुक्तगण अपने ट्रैक्टर पर बैठकर अपने घर की तरफ चले गए, जाते समय यह एलान करते हुए गया की अगर किसीने अपना सिर उठाने की कोशिश की

तो उसे भी मार दिया जायेगा, घटना को सुखा के बेटे कालू और गोकरण की पत्नी रामबेटी और सियाराम के बेटे राकेश कुमार द्वारा देखने का कथन किया गया।

राकेश कुमार की तबसे मृत्यु हो चुकी है। गोवर्धन लाल परिवादी को PW –1, कालू को PW2 और रामबेटि को pw3 के तौर पर परीक्षित करवाया गया।

अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में 6 गवाहों का साक्षियों के रूप में परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण ने निर्दोष होने का कथन किया। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया की उसका ड्राइवर नवीन चंद्र एक वीरेंद्र पुत्र ओमकार नाथ के खेत की बुआई करने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था जो परिवादी कालीचरण, मुंशी लाल, हरी शंकर, सियाराम लाठी और देसी पिस्तौल लेकर निकले, ट्रैक्टर को रोका, चालक को धमकी दी और वह मदद के लिए चिल्लायत। अभियुक्त अनिल कुमार उसे बचाने के लिए अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर आया जब वह ट्रैक्टर के नजदीक पहुंचा कालीचरण और कुंजीलाल ने उसपर और नवीन चंद्र पर गोली चलाई जिसपर दोनो को अग्नेयास्त्र द्वारा चोटें कारित हुई , आत्मरक्षा में उसने दो बार गोली चलाई उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ तथा चोटों का एक्सरे किया गया।

विद्वान सत्र न्यायधीश इस नतीजे पर पहुंचे की यह पूर्णतः स्पष्ट है की घटना अभियोजन द्वारा बताए गए समय और स्थान पर कारित हुई परंतु अक्षय कुमार और शिव कुमार घटना कारित करने में सक्षम नहीं थे उनकी उम्र को देखते हुए उनका घटना स्थल पर उपस्थित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभियुक्तगण को आई चोटों का स्पष्टिकरण नहीं दिया गया है अतः अभियोजन न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है एफ.आई.आर. समय पूर्व है तथा अपराधकारिक करने का कोई त्वरित कारण नहीं था। अभियुक्त अक्षय कुमार और शिव कुमार द्वारा उक्तप्रध के घटने में कोई सकारात्मक रूप से भाग नहीं लिया गया है। यद्यपि अनिल कुमार द्वारा घटना में सक्रिय रूप से भाग लिया गया था परंतु ऐसा आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किया गया था। एतद्वारा सभी तीनों अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया। उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील के लंबित रहने के दौरान अक्षय कुमार और शिव कुमार की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी हद तक अपील को अपास्त किया गया तथा अभियुक्त अनिल कुमार के खिलाफ अपील जारी रही।

उच्च न्यालय द्वारा विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को सही नहीं पाया गया, अभियोजन की साक्ष्य स्पष्ट एवं ठोस है विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए था जो संभावनाओं और कल्पनाओं पर आधारित हो की अक्षय कुमार और शिव कुमार अपराध

कारित करने में असमर्थ थे। नवीन चंद्र को आई चोटें काफी मामूली प्रकृति की थी। यह महत्वपूर्ण है की घटना 27.2.1980 को घटित हुई थी परंतु जहां तक अनिल कुमार और नवीन चंद के चिकित्सीय दस्तावेजों का सवाल है वे 29.2.1980 को अस्तित्व में आए है। यह तर्क की जब नवीन कुमार पर हमला किया गया तो अनिल कुमार ने उसका बचाव करने के लिए गोली चलाई काफी दुर्बल होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था जिसका विचारण न्यायालय द्वारा मानना गलत था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया की जिनके बारे में बचाव पक्ष द्वारा पूरे समय घटना स्थल पर होने का कथन किया गया है उसको बचाव पक्ष की तरफ से साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं करवाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवलोकन किया गया की विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के यह माना है की अभियुक्तगण द्वारा मृतकों पर चार गोलियां चलाई गई, आत्मरक्षा के अधिकार बाबत दलील को साबित नहीं किया गया है तथा इसे साबित करने लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना किसी तथ्य के न्यायालय ने यह माना है की एफ.आई.आर. समयपूर्व की थी, इस कारण से विचारण न्यायालय के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है एतद्वारा राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया। तथा अभियुक्त अपीलार्थी को अपराध अंतर्गत धार 302 और 302 सपठित धारा 34 भा. द. स. के तहत दोषसिद्ध किया गया।

अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया की विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हल्के में हस्तक्षेप किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था। यद्यपि अभियुक्त द्वारा घटना को स्वीकार किया गया है वह अयोग्य नहीं हो जाता। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है जैसे की अभियुक्त ने अभियोजन मामले को स्वीकार कर लिया हो। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में संहिता) के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों के एक हिस्से को आधार मानकर चला है तथा शेष की अनदेखी की है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व सावधानी पूर्वक संपूर्ण साक्ष्य का गहन अवलोकन किया जाना चाहिए था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है की अनिल कुमार और वीरेंद्र घायल हो गए थे परंतु कोई आगामी जांच नहीं की गई, विवाद की उत्पत्ति का कारण दर्ज नहीं है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा पाया गया है को विवाद की उत्पत्ति का तत्काल कोई कारण नहीं था। चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य में भी विरोधाभास है। रामबेटी (PW −3) की साक्ष्य के अनुसार एफ. आई. आर. समय पूर्व होना भी सही माना गया था। स्वीकार्य है की मुकदमेबाजी दशकों तक चली। यदि कोई मकसद होता तो दोनो मृतकों के स्थान पर गिरधारी लाल आहत होता।

प्रत्युतर में राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद दर्ज करवाई गई थी। चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य लंबी जिरह के बावजूद असंदिग्ध रही है। विचारण न्यायालय द्वारा शिव कुमार द्वारा अदा की गई भूमिका उसे अपराध में शामिल करने के लिए पर्याप्त थी तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात की अनिल कुमार इस कुचेष्ठा के लिए जिम्मेवार हो सकता है उसके कृत्य को आत्मरक्षा में किया गया कृत्य मानकर इस आधार पर संदेह का लाभ देना अतार्किक था। यह निष्कर्ष असंगत था। उच्च न्यायालय द्वारा चोटों की व्याख्या नहीं किए जाने के बचाव पक्ष के तर्क को चोट मामूली प्रकृति की होने के कारण अस्वीकार करना उचित था। हमले के समय गवाह निहत्थे थे तद्नुसार जैसा अनुरोध किया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को पलटना न्यायोचित था।

अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिनके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश दिया गया है। साधारणतः दोषमुक्ती के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता क्योंकि दोषमुक्ति से अभियुक्त के निर्दोष होने की संभावना को बल मिलता है। यह न्यायप्रशासन का स्वर्णिम नियम है की आपराधिक मुकदमों में दो मतों की संभावना होती हैं एक अभियुक्त्वक दोषी होने की और इशारा करता है और दूसरा उसके निर्दोष होने की और तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में हो उसे अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय की सर्वोच्च अवधारणा यह सुनिश्चित

करना है की न्याय की विफलता को रोका जाए। एक दोषी व्याक्ति के दोषमुक्त होने पर जो न्याय की विफलता उत्तपन्न होती है वह निर्दोष व्याक्ति को दोषी ठहराए जाने से उत्तपन्न होने वाली न्याय की विफलता से कम नहीं है। ऐसे प्रकरण में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है वहां अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला जाता है की वह स्वीकार्य साक्ष्य की पुनःसमीक्षा करे जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके की अभियुक्तगण में से किसी ने अपराध कारित किया है अथवा नहीं [भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 2 सर्वोच्च 567]। दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध विचारण के समय तभी हस्तक्षेप किया जाएगा जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और महत्वपूर्ण कारण मौजूद हो। यदि प्रश्नगत निर्णय स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक है तथा सुसंगत व दोषसिद्ध करने वाले तथ्यों को अनुचित तरीके से हटाया गया है यह हस्तक्षेप करने का एक बाध्यकारी कारण है। इन पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य *AIR (1973) SC 2622;* रमेश बाबूलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य, *(1996) 4* सर्वोच्च *167;* जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य *(2000) 3* सर्वोच्च *320;* राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य, *(2003) 7* सर्वोच्च *152;* पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह *(2003) 5* सर्वोच्च *508;* पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य, *(2003)*

सर्वोच्च और सुचंद पाल बनाम फानी पाल और अनय *JT (2003) 9 SC 17* में प्रकाश डाला गया है।

पहले हम अभियुक्तगण की चोटों के बारे में स्पष्टिकरण नहीं देने और उसका क्या असर होगा इस प्रश्न पर विचार करेंगे। सवाल यह है की चोटों के बारे में कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? हम बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस मत से सहमत नही है की प्रत्येक मामले में जहां अभियोजन पक्ष कुछ अभियुक्तगण को आई चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है तो अभियोजन पक्ष के मामले को बिना किसी आगे की जांच किए स्वतः ही ख़ारिज कर दिया जाना चाइए। मनोहर राय और भरत राय बनाम बिहार राज्य [1968] 3 SCR 525, यह अभिनिर्धारित किया गया की:

"हमारे निर्णय में अभियोजन पक्ष इस संबंध में कोई स्पष्टिकरण देने में असफल रहा है यह दर्शाता है की अभियोजन के गवाहान की घटना के बारे में दी गई साक्ष्य या तो असत्य है अथवा पूर्णतः सत्य नहीं है। आगे इन चोटों से अपीलार्थी के तर्क की संभावना बढ़ जाती है।"

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य [1976] 4 SCC 394, मोहर राय के प्रकरण (सर्वोच्च) में निर्धारित अनुपात का विश्लेषण करने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है:

"जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण को आई चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है उसके दो परिणाम निम्नलिखित है:

(1) को अभियोजन पक्ष के गवाहान का साक्ष्य असत्य है, और

(2) चोटें अपीलार्थियों द्वारा बचाव के तर्क को संभावित बनाता हैं।"

आगे यह भी देखा गया:

"हत्या के मामले में हत्या के समय या विवाद के दौरान अभियुक्त को आई चोटों के बारे में स्पष्टिकरण नहीं देना एक अति महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसमे न्यायालय निमन्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है :

(1) कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की उत्तपत्ति और शुरुआत के कारण को छुपाया गया है और घटना का सही संस्करण नही प्रस्तुत किया है ;

(2) कि वह गवाहान जो अभियुक्तगण को कारित हुई चोटों से इंकार करते है वह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में असत्य कथन करते है अतः उनकी साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है ;

(3) कि यदि बचाव पक्ष द्वारा अपने संस्करण में अभियुक्तगण को कारित हुई चोटों के बारे में स्पष्टिकरण दिया जाता है तो वह बहुत अधिक महत्व रखता है जहां साक्षियों में हितबद्धता या शत्रुतापूर्ण गवाह शामिल है या जहां बचाव पक्ष एक संस्करण देता है जो संभावनाओं में अभियोजन पक्ष से प्रतिस्पर्धा करता है।"

मोहर राय के प्रकरण में (सर्वोच्च) यह स्पष्ट किया गया है कि अभियोजन पक्ष का अभियुक्तगण को आई चोटों का स्पष्टिकरण नहीं दिया जाता है तो यह दर्शित कर सकता है की घटना से संबंधित साक्ष्य सत्य नहीं है अथवा किसी तरह से पूर्णत: सच नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्मी सिंह (सर्वोच्च) के मामले में भी यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को कारित हुई चोटों का स्पष्टिकरण नहीं देना अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है। परंतु इस प्रकार का गैर स्पष्टिकरण वहां अधिक महत्व रखता है जहां बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो संभावनाओं में अभियोजन पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। परंतु जहां साक्ष्य स्पष्ट ठोस और विश्वसनीय है वहां न्यायालय सत्य और असत्य में अंतर कर सकता है मात्र इस कारण से कि अभियोजन द्वारा चोटों के बारे में स्पष्टिकरण नहीं दिया गया है अभियोजन साक्ष्य को खारिज किए जाने का आधार नहीं हो सकता और परिणाम स्वरुप समस्त प्रकरण को खारिज नहीं किया जा सकता हर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा विजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR (1990) सर्वोच्च न्यायालय 1459 में उजागर किया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों के बारे में स्पष्टिकरण नहीं देने से अभियोजम पक्ष का मामला तब प्रभावित नहीं होगा जब अभियुक्तगण को आई चोटें मामूली व सतही हों अथवा जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस

है इतना स्वतंत्र है इतना संभावित सतत और विश्वसनीय है जो अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण को आई चोटों के स्पष्टिकरण से चूक के प्रभाव से अधिक है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य AIR (1972) सर्वोच्च 2593 अभियोजन पक्ष को सभी मामलों में अभियुक्तगण को प्राप्त हुई चोटों का स्पष्टिकरण देने के लिए नहीं बुलाया जाता अभियुक्तगण की चोटों के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल पूछना बचाव पक्ष का काम है जब ऐसा नहीं किया जाता है तो अभियुक्तगण को आई किसी चोट के बारे में स्पष्टिकरण देने का दायित्व अभियोजन पक्ष के गवाहान का नहीं है। हरिकिशन सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य AIR (1988) SC 863 यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले में अभियोजन पक्ष का अभियुक्तगण को उसी घटना में आई चोटों का स्पष्टिकरण देने का दायित्व नहीं है। दूसरे शब्दों में यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है की अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण को उसी घटना में आई चोटों का स्पष्टिकरण देना होगा यदि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान के बयानों पर न्यायालय अभियुक्तगण को संदेह से परे दोषी साबित करने का विश्वास करता है तो अभियुक्तगण को आई चोटों का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टिकरण देने का सवाल ही नहीं उठेगा। खासतौर पर जब चोटें साधारण अथवा सतही प्रकृति की हों। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को लगी मामूली एवं सतही चोटें उन्हें

अभियोजन पक्ष की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करने में बहुत कम मदद करती हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष पूर्णत: अनुमानों एवं परिकल्पनाओं पर आधारित थे और साक्ष्य के विपरीत थे। विचारण न्यायालय के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं था कि आरोपी अपीलार्थी अनिल कुमार द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया गया मात्र इसलिए की संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान मे ऐसा बयान दर्ज किया गया पर्याप्त नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा इसके बारे में मत व्यक्त नहीं किया गया क्योंकि इसके बारे में दलील नहीं दी गई थी और दस्तावेजों पर उपलब्ध साक्ष्य से इसके विपरीत यह स्थापित होता है कि अनिल कुमार ने गोली चलाई थी जिसके परिणामस्वरुप मृतकों की मृत्यु हो गई। यह अवधारणा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व समय पर दर्ज की गई थी PW 3 के साक्ष्य के त्रुटिपूर्ण पठन से हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है कि PW 3 एक अनपढ़ ग्रामीण महिला थी तथा उसके बयानों में मामूली भिन्नता को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए खास तौर पर जब उसके बयान लंबे समय के बाद दर्ज किए गए हैं और उसे यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए था की प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व समय पर दर्ज हुई थी। यह एक तुच्छ कानून है की मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय एवं ठोस है, चिकित्सीय साक्ष्य उसके विपरीत है तब वह अप्रासंगिक होता

है। प्रतिकूल निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य को पूर्णतः असंभव बनाता हो। यह प्रकरण उस प्रकृति का नहीं है।

इस स्थिति से ऊपर उठकर हम उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अपील खारिज की जाती है।

के. जी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह जोधा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।